राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / एल.आर. / 1886 / 2003 / टोंक

प्राथमिक विद्यालय पनवाड तहसील देवली जरिये प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवाड तहसील देवली जिला टोंक

....अपीलांट

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र हरनाथ
2. श्योदान पुत्र हरनाथ
3. सुखलाल पुत्र हरनाथ
4. बद्रीनाथ पुत्र हरनाथ
5. रामलाल पुत्र हरनाथ
6. रमेश पुत्र हरनाथ
7. मांगी पुत्र हरनाथ

   उपरोक्त सभी जाति जाट धाकड निवासी दौलता उप माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक

.....रेस्पोडेन्ट्स

8. तहसीलदार, देवली जिला टोंक
9. ग्राम पंचायत पनवाड जरिये सरपंच, पनवाड तहसील देवली जिला टोंक

....तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री सी. पी. शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री वी. पी. सिंह राजावत, अभि0 रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 01.11.2018**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 43 / 2001 में पारित निर्णय दिनांक 3–2–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा आदेश क्रमांक एफ–7 (राजस्व) दिनांक 19–5–86 से ग्राम पनवाड के खसरा नंबर 451 में से 2 एकड भूमि प्राथमिक विद्यालय ग्राम पनवाड को तहसीलदार देवली की अनुशंषा पर 30 वर्ष की लीज पर भूमि आवंटन नियम, 1963 के नियम 4 व राजस्थान काश्तकारी राजकीय नियम 1955 के नियम 7 (1) के तहत आवंटित की गई थी। इस आवंटन का मुख्य प्रयोजन यह था कि इस पर एक वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य करवा कर विद्यालय के सार्वजनिक उपयोग में लिया जाये। इस आवंटन से खुद को व्यथित महसूस करते हुए रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 7 ने एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष दिनांक 24–7–2001 को पेश की थी। इस आवंटन को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–2–2003 के द्वारा निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः निस्तारण हेतु जिला कलक्टर, टोंक को प्रतिप्रेषित किया गया। अतः अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि जिला कलक्टर द्वारा वादग्रस्त भूमि प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने व खेल के मैदान के लिए आवंटित की गई थी। यह आवंटन ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं प्रार्थना पत्र पर विधिवत रूप से जांच कर तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर हुआ था। इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 7 का कोई हित निहित नहीं है अर्थात् वे इस भूमि के खातेदार काश्तकार काबिज नहीं हैं। भूमि सिवायचक चरागाह भूमि है, इस भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। इसलिए विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने आवंटन आदेश को अपास्त करने के बाद प्रकरण रिमाण्ड करके विधिक त्रुटियां की हैं। इस भूमि पर वर्ष 1975 से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 का कब्जा साबित नहीं है। विद्यार्थियों के चारित्रिक एवं शारीरिक विकास के लिए यह भूमि आवंटित हुई थी तथा कब्जा प्राप्त करने के बाद प्राथमिक विद्यालय ने चारों ओर डोल लगा कर इस भूमि का सीमांकन करवाया है, इसे व्यवस्थित किया है तथा राहत कार्यो के तहत आवंटित किये गये बजट से यहां निर्माण कार्य जारी है। अपीलाधीन

आदेश में राजस्व अपील प्राधिकारी ने यह तथ्य गलत अंकित किया है कि आवंटन नियम के नियम 3(i), 3(iii), 3(vi) की पालना नहीं हुई। यह तथ्य भी गलत अंकित किया गया है कि यह जमीन प्राथमिक विद्यालय से 5 किमी. दूर है बल्कि शाला के बिल्कुल सटकर है। आवंटन को करीब 17 वर्ष हो गये हैं इसलिए इसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 3–2–2003 को अपास्त किया जाए।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उक्त तर्को का विरोध किया है। उनका कहना है कि आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है। चरागाह की भूमि का आवंटन प्राथमिक विद्यालय के उपयोग, उपभोग के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जाए।

6. उक्त तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. जिला कलक्टर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 19–5–86 के द्वारा 2 एकड चरागाह भूमि प्राथमिक विद्यालय, पनवाड को राजस्थान भू राजस्व (विद्यालय, महाविद्यालय, डिस्पेन्सरी, धर्मशाला और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण हेतु राजकीय अनाधिवासित भूमि आवंटन) नियम, 1963 के नियम 4 एवं राजस्थान काश्तकारी राजकीय नियम, 1955 के नियम 7 (1) के तहत कई शर्ते लगाते हुए आवंटित की गई थी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 3–2–2003 के द्वारा मुख्यतया निम्न आधारों पर उक्त आवंटन को विधि सम्मत नहीं पाया है–

(1) प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक शाला पनवाड की ओर से खेल के मैदान के लिए भूमि आवंटन करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है।

(2) प्राथमिक विद्यालय पनवाड को यह भूमि आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के लिए वह सक्षम नहीं था। इस संबंध में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। चूंकि ग्राम पंचायत का तात्पर्य मात्र सरपंच से नहीं होता है इसलिए आवेदन पत्र अकेले सरपंच द्वारा पेश नहीं हो सकता था।

(3) तहसीलदार ने खसरा नंबर 451 रकबा 3 बीघा किस्म चरागाह भूमि को प्राथमिक विद्यालय के उक्त प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने की सिफारिश की थी। किन्तु उसने वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। ऐसी कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गई कि जमीन खाली है या इस पर किसी का अनधिकृत कब्जा है।

(4) तहसीलदार ने उक्त 3 बीघा जमीन आवंटन करने की सिफारिश की थी, जबकि जिला कलक्टर ने दिनांक 19–5–86 के आदेश से 5 बीघा जमीन आवंटित कर दी है, जो अपने–आप में विधि विरूद्ध है। प्राथमिक शाला को अधिकतम 2 एकड यानि कि 5 बीघा भूमि ही आवंटित की जा सकती है। जिला कलक्टर ने इस आदेश के द्वारा 2 एकड यानि 5 बीघा भूमि स्कूल को आवंटित कर दी है तथा पूर्व में स्कूल के पास कितना ऐरिया था, इस पर विचार ही नहीं किया गया है। खसरा परिवर्तनशील के मुताबिक वादग्रस्त भूमि पर गोपाल लाल आदि, जिन्होंने राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील पेश की थी, का पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा इस भूमि को नियमन करने की पत्रावली जिला कलक्टर के यहां पहले से ही चल रही थी। इस तथ्य पर विचार किये बिना तथा गोपाल लाल आदि के आवेदन पत्र का निस्तारण किये बिना यह भूमि प्राथमिक विद्यालय को आवंटित नहीं हो सकती थी।

(5) आवंटी ने आवंटन नियमों के नियम 3(i), 3(iii), 3(vi) की पालना नहीं की है बल्कि उनका उल्लंघन किया है।

(6) उक्त नियमों के तहत यदि नजूल या आबादी भूमि उपलब्ध नहीं हो तो अविवादित राजकीय भूमि, बंजड भूमि या अकृषि योग्य बारानी भूमि ही आवंटित की जा सकती है। इस प्रकरण में तो चरागाह भूमि आवंटित कर दी गई, वह भी शाला से 5 किमी. दूर है तथा शाला के छोटे बच्चों के खेल के मैदान हेतु उपयुक्त भी नहीं है। इसलिए विवादित भूमि को आवंटन नियमों की अनुपालना में वापिस राज्य सरकार में निहित किया जाकर चरागाह दर्ज की जाती है।

उक्त कारण दर्शाते हुए विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 19–5–86 निरस्त किया तथा पत्रावली

जिला कलक्टर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की कि दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाए। इस प्रकार आवंटन आदेश को अपास्त करने में एवं प्रकरण रिमाण्ड करने में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने विधि सम्मत कारण दर्शाये हैं। इनमें से एक भी ऐसा कारण नहीं है, जो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से मेल नहीं खाता हो या तथ्यों से परे हो। इसलिए आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अपील काबिले खारिज है।

8. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य